# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

**पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)**
**अनुवान राकेश कुमार धायल आदि बनाम राजस्थान सरकार**
**वाद–पत्र संख्या – 273 / 2025**
**निर्णय दिनांक 5/08/25**

1. राकेश कुमार धायल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. जयवीर धायल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी झाड़सर कांधलान तारानगर जिला चूरू

वादीगण

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरू।

प्रतिवादी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट**

**–::निर्णय::–**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि खाता संख्या 387 के ख.नं. 432 तादादी 7.5364 हैक्ट. वाके रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर एवं खाता सं. 576 के ख.नं. 560 तादादी 6.2466 हैक्ट., खं.नं. 563 तादादी 5.4753, ख.नं. 590 तादादी 3.7935 हैक्ट. वाके रोही रोही मौजा मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित हे। जिसमें वादीगण की माता 1/8 हिस्सा एवं 613/19632 हिस्सा की सह खातेदार काश्तकार है। वादीगण की माता का देहान्त दिनांक 05.12.2023 को हो चुका है इसलिये वादीगण अपनी माता मकी जायज संतान होने के कारण उनकी ओर से यह दावा पेश किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त खसराजात कृषिभूमि की वर्तमान राजस्व जमाबंदी में भूलवश वादीगण की माता का नाम विद्या पुत्री लेखराम दर्ज है, जो गलत है अब वादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड से जमाबंदी निकलवाई तब वादीगण को पता चला कि उपरोक्त दोनों खसराजात कृषिभूमियों की जमाबंदियों के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण की माता का विद्या पुत्री लेखराम दर्ज है जो गलत है जबकि वादीगण की माता का सही नाम बीदामी देवी पुत्री लेखराम है जो सही है। राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता होने के कारण वादीगण राज्य व केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे वादीगण को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए वादीगण उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। वादीगण के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड वादीगण की माता का मृत्यु प्रमाण पत्र व वादीगण के शपथ पत्र आदि दस्तावेजात में वादीगण की माता का सही नाम बीदामी देवी दर्ज है। अब वादीगण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि खाता संख्या 387 के ख.नं. 432 तादादी 7.5364 हैक्ट. वाके रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर एवं खाता सं. 576 के ख.नं. 560 तादादी 6.2466 हैक्ट., खं.नं. 563 तादादी 5.4753, ख.नं. 590 तादादी 3.7935 हैक्ट. वाके रोही रोही मौजा मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू में वादीगण की माता का नाम बीदामी देवी पुत्री लेखराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में नायब तहसीलदार साहवा के अनुसार वादीगण की माता का नाम विद्या देवी व बिदामी देवी दोनो एक ही व्यक्ति के दो नाम है तथा विद्या देवी की जगह बिदामी देवी किये जाने की अभिशंषा की है। वकील वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वकील वादी ने वादीगण के शपथ पत्र मय दस्तावेज इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण की माता का सही बीदामी देवी पुत्री लेखराम है। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा वादीगण द्वार प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

Rajendra

वर्णित विवेचन से यह प्रकरण पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता संख्या 387 के ख.नं. 432 तादादी 7.5364 हैक्ट. वाके रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर एवं खाता सं. 576 के ख.नं. 560 तादादी 6.2466 हैक्ट., खं.नं. 563 तादादी 5.4753 हैक्ट., ख.नं. 590 तादादी 3.7935 हैक्ट. वाके रोही रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीगण की माता का नाम **विद्या देवी** पुत्री लेखराम **Delete** कर इसके स्थान पर **बीदामी देवी पुत्री लेखराम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)